


तारीख हुक्म	शासन क्रम १७ तहसील हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज क्र. नं. 51/2020 धारा - 251 A.	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
----------------	--	---

21-01-21

पत्रावली पेश हुई | उभय पक्ष उपस्थित |
अपार्थी जवाब जति निम्नी जति पक्षी के उपलब्ध कराई
बिधिस सुनी गई | पत्रावली वास्तु आदि।
पार्थना - पत्र आयन्दा 27-01-21 को
पेश हो।


सहायक कमिश्नर (अधिकारी)
खेरवाड़ा, जि. उदयपुर (राज.)

27-01-21

पत्रावली पेश हुई | उभय पक्ष उपस्थित |
पार्थी अधिवक्ता एवं तहसीलदार खेरवाड़ा
की सुनी गई बिधिस एवं तहसीलदार खेरवाड़ा
के जवाब पार्थना पत्र के आधार पर पार्थना
पत्र स्वीकार किया जाता है और तहसीलदार
खेरवाड़ा को आदेशित किया जाता है कि
मौजा बन्जारिया, पटवार मण्डल बन्जारिया,
तहसील खेरवाड़ा के खसरा सं. 3274/3277
पर आने-जाने हेतु मौजा बन्जारिया के
खसरा सं. 258 में से 0.4122 हे०, खसरा सं.
259 में से 0.0738 हे०, खसरा सं. 354 में से
0.0594 हे०, खसरा सं. 363 में से 0.0444 हे०
एवं खसरा सं. 364 में से 0.0360 हे० भूमि,
कुल 0.6228 हे० भूमि को कि संलग्न
नक्शा ट्रेस में गुलाबी रंग से (A से C)
दर्शायी गई है; वर्तमान D.L.C. रेट की
दो गुना राशी राजकोष में जमा कराने
के पश्चात् राजस्व रिकार्ड में सार्वजनिक
रास्त कायम किया जाने जावे | विस्तृत
आदेश पृथक् से लिखा जाकर पत्रावली
के साथ संलग्न किया गया |
पत्रावली निर्णित दौकर संख्या से
उम की जाकर दाखिल दफ्तर हो |
निर्णय आज दिनांक 23-01-2021 को मेरे
द्वारा लिखा जाकर सुले न्यायालय

